77 न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)
कैम्प कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

मा/ अपील/ अपील/2017/3962

मंगल उर्फ मंगलिया आयु 55 वर्ष लगभग आत्मज नरबद अगरिया निवासी डिडबरिया थाना व तहसील पाली, जिला उमरिया म0प्र0 -- अपीलार्थी

बनाम

म0प्र0शासन --- उत्तरवादी

आवेदक मंगल उर्फ मंगलिया अगरिया द्वारा पेश 18-10-17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

अपील निर्णय विरूद्ध आयुक्त महोदय, शहडोल के रा0प्र0क्र0 48/35 (3) अ-74/16-17 आदेश दिनांक 20.08.2017

अपील अन्तर्गत धारा 35 (4) म0 प्र0 भू0रा0स0 1959

महोदय,

प्रार्थी /अपीलार्थी निम्नलिखित अपील के संक्षिप्त तथ्य प्रस्तुत कर निवेदन करते है :-

1. यह कि अपीलार्थी की आराजी ग्राम डिडबरिया, प0ह0 बंधबावारा, वर्तमान नरबार, रा0नि0म0 अमिलिहा, तहसील पाली जिला उमरिया म0प्र0 में स्थिति आराजी खसरा नं0 194 रकवा 1.29 एकड़ का अंश भाग 0.202 हे0 में घर, कुआं, आंगन, बाथरूम बाड़ी आदि बनाकर 1970 के पूर्व से आज दिनांक तक सपरिवार सहित आवाद चले आ रहे है। 1978-79 से प्रार्थी के पिता नरवद अगरिया का कब्जा राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा था। उक्त आराजी गाम के मध्य में स्थित है, जहां पूरी बस्ती बसी हुई है, जिसके उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व, पश्चिम में सी0सी0 रोड निर्मित है।

2....

नि0 अ0
मंगल उर्फ मंगलिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक तीन–अपील / उमरिया / भू.रा. / 2017 / 3962

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/04/18	आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण कमांक 48 / (35)(3) / अ–74 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 20–8–17 के विरूद्व यह अपील मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (4) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2 / अपील की प्रचलनशीलता पर अपीलार्थी के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3 / अपीलार्थी के अभिभाषक का तर्क है कि आयुक्त न्यायालय में नियुक्त अभिभाषक की नियत पेशी 19–6–17 के दिन तबियत खराव थी, जिसके कारण वह पेशी पर उपस्थित नहीं हुये और आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 19–6–17 से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त कर दिया गया, जिसके पुर्नस्थापन आवेदन देने पर आदेश दिनांक 20–8–17 से पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त किया गया है जो पक्षकार के साथ न्याय नहीं है। उन्होंने जिला अस्पताल के मेडिकल आफिसर व्दारा जारी चिकित्सा परिचर्या पत्र एंव चिकित्सा प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर आयुक्त, शहडौल के आदेश दिनांक 20–8–17 को निरस्त करने की प्रार्थना की। 4 / आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव मेडिकल आफिसर व्दारा जारी चिकित्सा परिचर्या पत्र एंव चिकित्सा प्रमाण पत्र के अवलोकन से परिलक्षित है कि जिला अस्पताल के मेडिकल आफिसर व्दारा दिया गया चिकित्सा परिचर्या पत्र एंव चिकित्सा प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय में पंजीयत नहीं हैं जो सीधे राजस्व मंडल में प्रस्तुत होने	

से संदेह की परिधि में है । यदि यह प्रमाण अपीलांट के अभिभाषक के पास यथासमय था तब उन्हें आयुक्त, शहडौल के समक्ष प्रस्तुत करके तदाशय का लाभ प्राप्त करने की मांग करना चाहिये थी, किन्तु आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण कमांक 48 / (35)(3) / अ–74 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 20–8–17 में चिकित्सा परिचर्या पत्र एंव चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का उल्लेख नहीं है अपितु आयुक्त व्दारा आदेश में अंकित किया है कि अपीलांट अथवा उसके अभिभाषक ने बीमारी के संबंध में चिकित्सा परिचर्या पत्र एंव चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण अपीलांट की ओर से राजस्व मण्डल में मूलरूप में प्रस्तुत चिकित्सा परिचर्या पत्र एंव चिकित्सा प्रमाण पत्र पर विश्वास करना संभव नहीं है। आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 20–8–17 में अंकित किया है कि अपीलांट की अनुपस्थिति के कारण पूर्व में प्रकरण दिनांक 30–6–15 को खारिज हुआ है जिसे आदेश दिनांक 7–9–15 से पुर्नस्थापित किया है । परिलक्षित है कि अपीलांट की ओर से प्रकरण में जानबूझकर लापरवाही की जा रही है जिसके कारण आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने आदेश दिनांक 20–8–17 से अपीलांट का पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त किया है ।

5 / उपरोक्त कारणों से अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण कमांक 48 / (35)(3) / अ–74 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 20–8–17 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य